पत्रांक–9/विविध–14–09/2013, सा0प्र0 10512/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,
वित्त विभाग,
सहकारिता विभाग,
ग्रामीण विकास विभाग,
शिक्षा विभाग,
निःशक्तता आयुक्त, निःशक्तता आयुक्त का कार्यालय, पटना
अल्प संख्यक कल्याण विभाग,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
योजना एवं विकास विभाग,
पथ निर्माण विभाग,
आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना,
संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना 15, दिनांक–18-8-, 2017

विषयः– सामान्य प्रशासन विभाग के विभागीय आदेश संख्या–3338 दिनांक–20.03.2017 के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कतिपय कर्मियों को कनीय कर्मियों का वरीय कर्मियों से अधिक वेतन होने के फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या–301 दिनांक–17.07.2015 द्वारा स्वीकृत ह्रासमान वैयक्तिक वेतन को विभागीय आदेश ज्ञापांक–3338 दिनांक–20.03.2017 (प्रति संलग्न) द्वारा वापस ले लिया गया था। उक्त आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक–3338 दिनांक–20.03.2017 में नामित कर्मियों का विभिन्न आदेशों से किया गया वेतन निर्धारण स्वतः निरस्त हो जाता है। इस प्रकार उक्त कर्मियों का वेतन पूर्ववत हो जायेगा।

अतः विभागीय आदेश संख्या–3338 दिनांक–20.03.2017 के आलोक में उक्त कर्मियों का वेतन पुनर्निर्धारित कर महालेखाकार, बिहार एवं वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

18/8/17

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/ विविध–14–09/2013, सा0प्र0 10512 /पटना–15, दिनांक– 18-8- ,2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीर चन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ अवर सचिव (स्था0/लेखा), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/8/17

सरकार के अवर सचिव।

E:\VINAY KUMAR\LETTER.docx

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

## आदेश

आ०संख्या–9 / विविध–14–09 / 2013, सा०प्र० 3328 / पटना–15, दिनांक 20-3-17

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या–301, दिनांक–17.07.2015, द्वारा निम्नांकित कर्मियों को वरीयता में कनीय कर्मियों को वरीय से अधिक वेतन होने के फलस्वरूप ह्रासमान वैयक्तिक वेतन स्वीकृत करते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया था :–

| क्र | नाम / पदनाम | नि०स० के पद पर योगदान की तिथि, मूल वेतन एवं वेतनमान | दिनांक 02.09.1987 को प्राप्त वेतन (रूपये में) | ह्रासमान वैयक्ति वेतन की तिथि एवं राशि (रूपये में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री ब्रह्मदेव प्रसाद, प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग | 23.12.1980<br>400<br>400–630 | 02.09.1987–1800 | 02.09.1987 से–410 |
| 2. | श्री राजीव रंजन ठाकुर, प्रधान आप्त सचिव, वित्त विभाग | 02.01.1981<br>400<br>400–630 | 02.09.1987–1800 | 02.09.1987 से–410 |
| 3. | श्री जितेन्द्र कुमार चौबे, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, सहकारिता विभाग | 13.01.1986 अप०<br>1500<br>1500–2750 | 02.09.1987–1550 | 02.09.1987 से–660 |
| 4. | श्री केदार प्रसाद, सेवानिवृत्त निजी सहायक, ग्रामीण विकास विभाग | 17.04.1986<br>1500<br>1500–2750 | 02.09.1987–1550 | 02.09.1987 से–660 |
| 5. | श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, आप्त सचिव, शिक्षा विभाग | 26.04.1986<br>1500<br>1500–2750 | 02.09.1987–1550 | 02.09.1987 से–660 |
| 6. | श्री राजगृही प्रसाद, आप्त सचिव निःशक्तता आयुक्त का कार्यालय | 29.04.1986<br>1500<br>1500–2750 | 02.09.1987–1550 | 02.09.1987 से–660 |
| 7 | मो० शहाबुद्दिन अंसारी, आप्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 29.04.1986<br>1500<br>1500–2750 | 02.09.1987–1550 | 02.09.1987 से–660 |
| 8. | श्री विजय सिंह, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, शिक्षा विभाग | 30.04.1986 अप०<br>1500<br>1500–2750 | 02.09.1987–1550 | 02.09.1987 से–660 |
| 9 | श्री उपेन्द्र नाथ तिवारी, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | 19.01.1987<br>1500<br>1500–2750 | 02.09.1987–1500 | 02.09.1987 से–710 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | श्री दीनानाथ पाण्डेय, आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग | 29.01.1987 1500 1500–2750 | 02.09.1987–1500 | 02.09.1987 से–710 |
| 11 | श्री विजय प्रसाद यादव, आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग | 30.01.1987 अप0 1500 1500–2750 | 02.09.1987–1500 | 02.09.1987 से–710 |

बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के प्रावधान संख्या– 2.4 'ए' के तहत मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की दिनांक–09.02.2017 को अपराह्न 4:00 बजे सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उपर्युक्त कर्मियों को अबतक दिये गये वेतन संरक्षण का वित्तीय लाभ की वसूली नहीं करने के शर्त के साथ, विभागीय आदेश संख्या–301, दिनांक–17.07.2015 को वापस लिया जाता है।

ह0/–

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/विविध–14–09/2013, सा0प्र0 3338 /पटना–15, दिनांक 20-3-17

प्रतिलिपि:– सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी आयोग/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार/वित्त विभाग (प्रशाखा–3), बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/17
सरकार के अवर सचिव।